

वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 मई, 2017-वैशाख 22, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, बाबूलाल मालवीय पिता श्री घासीराम शासकीय प्रा. वि. खांकरी संकुल केन्द्र शासकीय बालक उ.मा. वि. क्रमांक 2, शाजापुर विकासखण्ड, शाजापुर व जिला शाजापुर मध्यप्रदेश में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ, मैंने अपना नाम परिवर्तित कर बाबूलाल सोलंकी पुत्र श्री घासीराम कर लिया है।

अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम बाबूलाल सोलंकी पुत्र घासीराम के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(बाबूलाल मालवीय)

(81-बी.)

नया नाम :

(बाबूलाल सोलंकी)

पुत्र श्री घासीराम,

निवासी-284, ए. बी. रोड, बरखेड़ा

वार्ड नं. 25 शाजापुर, मध्यप्रदेश।

CHANGE OF NAME

I, Smt. Shobha Devi W/o Ex Sep Bane Singh, Age 66 years, Resident H. No. 42/1, Ganesh Nagar, Agar Road, Disst-Ujjain (M.P.)- 456001.

I, declare that my name is change Smt. Sukeshani Devi (Old Name) to Shobha Devi (New Name).

OLD NAME :

(SUKESHANI DEVI)

(82-B.)

NEW NAME :

(SHOBHA DEVI)

H.No. 42/1, Ganesh Nagar,
Agar Road, Disst-Ujjain (M.P.) 456001.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी मार्कशीट में मेरा नाम अरविंद पाल सिंह राठौर (Arabind Pal Singh Rathore) अंकित है पी. एस. यू. (एस. बी. आई.) में आगे के उपरांत मैंने अपना नाम परिवर्तित कर अरविंद पाल सिंह (Arabind Pal Singh) रख लिया है जो कि मेरे सर्विस रिकार्ड एवं समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि में भी अंकित है.

यह कि, अब भविष्य में मुझे अरविंद पाल सिंह (Arabind Pal Singh) के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(अरविंद पाल सिंह राठौर)
(ARABINDPAL SINGH RATHORE)

(83-बी.)

नया नाम :

(अरविंद पाल सिंह)
(ARABIND PAL SINGH)

पुत्र श्री गुलाब सिंह,
निवासी- C/o बृजमोहन शिवहरे, गली नं. 2,
गल्ला मंडी, भिण्ड मध्यप्रदेश.

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को विदित है कि मुझे राजेश पिता श्री गोपीकिशन गुप्ता, निवास 50, भगवानदीन नगर, इन्दौर को पूर्व में राजेश अग्रवाल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में मुझे राजेश गुप्ता के नाम से जाना जाता है।

पुराना नाम :

(राजेश अग्रवाल)
(84-बी.)

नया नाम :

(राजेश गुप्ता)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि नेहा गुप्ता पुत्री डॉ. जे. पी. गुप्ता ने अपना उपनाम गुप्ता परिवर्तित कर लिया है तथा भविष्य में मुझे नेहा नीखरा पत्नी श्री सौमित्र नीखरा से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(नेहा गुप्ता)

(91-बी.)

नया नाम :

(नेहा नीखरा)

पत्नी श्री सौमित्र नीखरा,
एम-246, माधव नगर,
लश्कर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पहले समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम बिन्दीया पहूजा पुत्री श्री पृथ्वीराज पहूजा अंकित है। विवाहोपरान्त मुझे किर्ती वलेचा पत्नी श्री संजीव वलेचा के नाम से जाना और पहचाना जाता है। भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेजों में किर्ती वलेचा पढ़ा जाए एवं इसी से नाम मुझे जाना-पहचाना जाए।

पुराना नाम :

(बिन्दीया पहूजा)

(92-बी.)

नया नाम :

(किर्ती वलेचा)

पता-रामसिंघ की गली, लाला का बाजार,
लश्कर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मेरा विवाह पूर्व में नाम कु. मीना विंचूरकर पुत्री श्री मार्टण्ड राव विंचूरकर था, विवाह के पश्चात मैं श्रीमती ऋतु देव (Ritu Deo) पत्नी श्री वसंत देव के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ तथा अब मेरा यही नाम है।

पुराना नाम :

(कु. मीना विंचूरकर)
पुत्री श्री मार्टण्ड राव विंचूरकर.

(93-बी.)

नया नाम :

(ऋतु देव)

(Ritu Deo)

पत्नी-श्री वसंत देव,
निवासी-ब्लॉक नं. बी. 4, फ्लैट नं. 406,
केदार अपार्टमेन्ट, आकृति ग्रीन,
सलैया (आकृति इकोसिटी के पास) भोपाल,
मध्यप्रदेश पिन कोड-462042.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को अवगत कराया जाता है कि मेरा पूर्व का नाम एन. के. बंसल पुत्र श्री के. के. बंसल था. अब मैंने अपना नाम सुधीर बंसल पुत्र स्व. श्री के. के. बंसल के नाम से कर लिया है. अतः मुझे शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं सर्वजन मुझे नये नाम सुधीर बंसल पुत्र स्व. श्री के. के. बंसल के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(एन. के. बंसल)

(97-बी.)

नया नाम :

(सुधीर बंसल)

पुत्र स्व. श्री के. के. बंसल,
डी-2/192, दानिश नगर भोपाल.

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पूर्व में आनन्द प्रकाश जाटव था. लेकिन मैं, अब आनन्द प्रकाश के नाम से पढ़ व जाना जावे.

पुराना नाम :

(आनन्द प्रकाश जाटव)

(100-बी.)

नया नाम :

(आनन्द प्रकाश)

पता-265/सी, विवेकानंद कॉलोनी,
उज्जैन.

नाम परिवर्तन

यह कि पूर्व में मेरा नाम विवेक कुमार गुप्ता था परन्तु वर्तमान में, मेरा नाम विवेक गुप्ता लिखता हूँ. अतः मुझे मेरे नये नाम विवेक गुप्ता के नाम से जाना-पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(विवेक कुमार गुप्ता)

(101-बी.)

नया नाम :

(विवेक गुप्ता)

पना (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. शिवानी मार्कन पुत्री श्री हेमन्त मार्कन था. मेरा विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से 15 फरवरी, 2016 को श्री अंकित वधावन के साथ विदिशा में सम्पन्न हुआ था. जिसके बाद मेरा नाम श्रीमति शिवानी वधावन पत्नि श्री अंकित वधावन हो गया है. अतः अब मुझे श्रीमति शिवानी वधावन पत्नि श्री अंकित वधावन के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाये.

पुराना नाम :

(शिवानी मार्कन)

(102-बी.)

नया नाम :

(शिवानी वधावन)

बाराद्वारी कुएं के पास,
किले अन्दर, विदिशा (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मेरा नाम विवाह से पूर्व सरोज गोस्वामी पुत्री स्व. श्री गोविन्ददास गोस्वामी, निवासी गोविन्दगंज, जिला दतिया था तथा विद्यालयीन अंकसूचियों आदि दस्तावेजों में मुझ शपथकर्ता का नाम सरोज गोस्वामी अंकित है. मेरा विवाह दिनांक 29-04-1994 को संजय कुमार शांडिल्य पुत्र श्री केशवप्रसाद, निवासी गली नं. 3, शिव कॉलोनी, गुढ़ा, लश्कर, ग्वालियर के साथ हुआ था तथा मेरा नाम विवाह के बाद से श्रीमती सरोज शांडिल्य हो गया है तथा मुझे अब इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है तथा विवाह के बाद दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटरकार्ड तथा शासकीय नौकरी में भी मेरा नाम श्रीमती सरोज शांडिल्य लिखा है, तथा इसी नाम से मैं जानी व पहचानी जाती हूँ तथा भविष्य में इसी नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम :

(सरोज गोस्वामी)

(103-बी.)

नया नाम :

(सरोज शांडिल्य)

पत्नी श्री संजय कुमार शांडिल्य,
निवासी-गली नं. 3, शिव कॉलोनी, गुढ़ा,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार मेसर्स पी. आर. एस. बिल्डर्स एण्ड कॉनट्रक्टर्स द्वारा पार्टनर श्री प्रेमचन्द्र कवीर पंथी पुत्र स्व. श्री बिन्द्रावन कवीर पंथी, आयु-वयस्क, निवासी-32, डी सेक्टर सी, सर्वधर्म, कोलार रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेसर्स पी. आर. एस. बिल्डर्स एण्ड कॉनट्रक्टर्स, पंजीकृत पता-शॉप नम्बर 50, मेट्रो वाक, बिट्टन मार्केट, अरेरा कॉलोनी, भोपाल मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00432/14, दिनांक 29-01-2014 पंजीकृत साझेदारी फर्म है। उक्त फर्म में दिनांक 01-02-2014 को सभी साझेदारों की सहमति से श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन, आयु-वयस्क, निवासी-सी-30, बीडीए कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल, मध्यप्रदेश से फर्म में साझेदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं तथा दिनांक 16-07-2016 को निष्पादित विलेख के माध्यम से श्री राजेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री रामदयाल सिंह चौहान, आयु वयस्क, निवासी-ई-8/229, इश्वर नगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश फर्म से स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से दिनांक 16-07-2016 से अलग हो गये हैं। फर्म में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद नहीं है।

भवदीय,

B. S. Rajput (एडवोकेट)

सेवाधाम लॉ चैम्बर,

P.N. 244, Chamber N.1, Basement,
King Shopping Center, Zone-1, M.P. Nagar,
Bhopal (M.P.)

(85-B.)

आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार मेसर्स माँ पार्वती इन्फ्रा डेवलपर्स. पंजीकृत पता- शॉप नम्बर सी-3111, सुरेन्द्र लैण्ड मार्क, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश द्वारा पार्टनर श्री विश्वनाथ सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, आयु-वयस्क, निवासी मकान नंबर 02, नियर हनुमत सिंह, तहसील हुजूर, भोपाल, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेसर्स माँ पार्वती इन्फ्रा डेवलपर्स, पंजीकृत पता-शॉप नं. सी-3111, सुरेन्द्र लैण्ड मार्क, होशंगाबाद रोड, भोपाल, म. प्र. पंजीयन क्रमांक 01/01/0175/2015, दिनांक 13 जुलाई, 2015 पर पंजीकृत साझेदारी फर्म है। उक्त फर्म के सभी साझेदारों की सहमति से 1. श्री प्रवीण पाटिल पुत्र श्री वामनराव पाटील, आयु वयस्क, निवासी मकान नम्बर-31, बंडु सोनी लेआऊट, संभाजी नगर, नागपूर महाराष्ट्रा, 2. श्री कमलेश पवार पुत्र श्री जयंत पवार, आयु वयस्क, निवासी मकान नम्बर 12, बंडु सोनी लेआऊट, संभाजी नगर, नागपूर, महाराष्ट्रा, 3. श्री गजेन्द्र गिरारे पुत्र श्री श्रीराम गिरारे, आयु वयस्क निवासी मकान नम्बर-62, बंडु सोनी लेआऊट, संभाजी नगर, नागपूर, महाराष्ट्रा, 4. श्री विलास चौधरी पुत्र श्री उमराव चौधरी, आयु वयस्क, निवासी गंगाबाई घाट रोड, जुनी मंगलवारी, नागपूर, महाराष्ट्रा को फर्म में विधिक रूप से साझेदार के रूप में दिनांक 04-02-2017 को सम्मिलित किया गया है। फर्म में किसी भी प्रकार को कोई वाद-विवाद नहीं है।

भवदीय,

बी. एस. राजपूत (एडवोकेट)

सेवाधाम लॉ चैम्बर,

P.N. 244, Chamber N.1, Basement,
King Shopping Center, Zone-1, M.P. Nagar,
Bhopal (M. P.).

(86-B.)

PUBLIC NOTICE

Notice U/s 72 of Indian Partnership firm Act, 1832

Notice is hereby given that the following change take place in the Constitution of firm M/s ROOPLAL Doulatram, Mandsaur with effect from 01-04-2015 as under-

Out Going Partner :-

1. Surendra Kumar S/o Rooplal Kumawat
2. Smt. Rupali W/o Kamlesh Kumar Kumawat.

in coming Partner :-

1. Kamlesh Kumar S/o Rooplal Kumawat
2. Smt. Sangita W/o Surendra Kumar Kumawat.

For-M/s Rooplal Doulatram
ROOPLALDOULATRAM KUMAWAT,
(Partner).

(87-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स मध्यभारत कांकीट उद्योग स्थित 135/2, मालवीय नगर भोपाल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1258, दिनांक 10-08-1981 है. जिसमें दिनांक 09-04-2015 को भागीदार श्री के. के. बंसल पुत्र श्री बनारसी दास बंसल, निवासी डी-2/192 दानिश नगर, एन. एच.-12, होशंगाबाद रोड, भोपाल का स्वर्गवास हो जाने से फर्म से पृथक् हो गये हैं। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

फर्म मैसर्स मध्यभारत कांकीट उद्योग,

सुधीर बंसल,

(भागीदार)

भोपाल.

(88-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में से कुनाल आटोमोटिव, महर्षि विद्या मंदिर, नागपुर, रोड, छिन्दवाड़ा में नाम से एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 04/17/01/00136/10, दिनांक 05-08-2010 है। इस फर्म से दिनांक 01-01-2017 से एक भागीदार बाहर हो रहे हैं जो कि निम्न है—श्रीमती मीना मिगलानी पिता श्री गोपालकृष्ण मिगलानी, निवासी नरसिंहपुर रोड, छिन्दवाड़ा। उक्त भागीदार उपरोक्त दिनांक से इस फर्म से बाहर हो रहे हैं एवं दो नए भागीदार इस फर्म में शामिल हो रहे हैं जो कि निम्न है—(1) श्री रमेश कुमार मिगलानी पिता श्री रामधन मिगलानी, निवासी नरसिंहपुर रोड, छिन्दवाड़ा। (2) श्री किशोर मिगलानी पिता श्री रमेश कुमार मिगलानी, निवासी नरसिंहपुर रोड, छिन्दवाड़ा। अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01-01-2017 से संशोधन उपरांत पांच भागीदार रहेंगे।

मै. कुणाल आटोमोटिव,

विकास कुमार मिगलानी,

(भागीदार),

छिन्दवाड़ा।

(89-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जा रहा है कि मैसर्स “राजावत स्टोन इंडस्ट्रीज” दिनांक 01-12-2010 से एक पंजीकृत साझेदारी फर्म रजि. नं. 02/42/02/00200/10 के रूप में कार्य कर रही है, जिसे पूर्व दिनांक 04-12-2013 को संशोधित किया जा चुका है। अब पुनः संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 14-02-2017 से इस प्रकार है।

श्रीमती पूनम कुशवाह पत्नी श्री विजय प्रताप सिंह, 34 वर्ष, श्री नीरज तोमर पुत्र श्री दूशन पाल सिंह तोमर, 26 वर्ष अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर फर्म से हट रहे हैं। श्री अशोक सिंह भदौरिया S/o श्री फूल सिंह भदौरिया की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र श्री नवनीत सिंह भदौरिया जुड़ रहे हैं एवं श्री भानू प्रताप सिंह कुशवाह पुत्र श्री समशेर सिंह, 39 वर्ष सम्मिलित हुए हैं। फर्म का नया पंजीकृत पता 1, पंचवटी कॉलोनी, बहोड़ापुर, ग्वालियर, 474012 (म. प्र.) हो गया है।

हर आम आदमी को सूचित हो।

मैसर्स राजावत स्टोन इंडस्ट्रीज,

रामनरेश परमार,

(भागीदार).

पंचवटी कॉलोनी, बहोड़ापुर, ग्वालियर (म. प्र.).

(46-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जा रहा है कि मैसर्स “राजावत स्टोन इंडस्ट्रीज” दिनांक 01-12-2010 से एक पंजीकृत साझेदारी फर्म रजि. नं. 02/42/02/00200/10 के रूप में कार्य कर रही है, जिसमें श्रीमती पूनम कुशवाह पत्नी श्री विजय प्रताप सिंह, श्रीमती गोरी सिंह पत्नी श्री रामप्रताप सिंह कुशवाह साझेदारी में थे। अब इसे दिनांक 04-12-2013 को संशोधित किया जा रहा है। अतः संशोधित साझेदारी के तहत श्रीमती गोरी सिंह फर्म से हट रही हैं एवं रामनरेश परमार पुत्र श्री मुन्ना सिंह परमार, यतेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री राजबहादुर सिंह चौहान, श्री दीपक जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन, नीरज तोमर पुत्र श्री तुष्ण तोमर, श्री अशोक सिंह भदौरिया पुत्र श्री फूल सिंह भदौरिया, श्री दिनेश सिंह भदौरिया पुत्र श्री मोहन सिंह भदौरिया सम्मिलित हुए हैं।

हर आम आदमी को सूचित हो।

मैसर्स राजावत स्टोन इंडस्ट्रीज,

रामनरेश परमार,

(भागीदार).

407, मिलेनियम प्लाजा, यूनिवर्सिटी रोड, थाटीपुर, ग्वालियर (म. प्र.).

(45-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स राय ट्रेवल्स, परासिया, वार्ड क्रमांक 17, पेंच व्हेली ग्राउंड के पास, परासिया नाम से एक भागीदार फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 04/17/03/00214/10/10, दिनांक 20-10-2010 है। इस फर्म में दिनांक 25-01-2017 से दो भागीदार शामिल हो रहे हैं जो निम्न हैं (1) श्री आदेश राय पिता श्री बैकुण्ठ राय, (2) कुमारी ऐश्वर्या राय पिता श्री बैकुण्ठ राय, निवासी-वार्ड नम्बर 17, पेंच व्हेली ग्राउंड के पास, परासिया। अतः उक्त भागीदार फर्म में दिनांक 25-01-2017 से पाँच भागीदार रहेंगे।

मैसर्स राय ट्रेवल्स,
बैकुण्ठ कुमार राय,
(भागीदार)।

परासिया, छिन्दवाडा (म. प्र.)

(90-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जे. पी. एक्सप्लोसिव्स, 12-नगर निगम कॉम्प्लेक्स, हास्पीटल रोड, लश्कर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश भागीदारी फर्म के भागीदार श्री नीरज चन्सौरिया पुत्र श्री मैथलीशरण शर्मा एवं श्रीमती प्रीति गुप्ता पत्नी श्री पुष्टेन्द्र गुप्ता दिनांक 01-04-2016 से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं एवं उसी दिनांक 01-04-2016 से श्री गगन भल्ला पुत्र श्री सतीश कुमार भल्ला एवं श्री जगदीप फर्म के भागीदार के रूप में सम्मिलित कर लिये गये हैं। तदनुसार सूचित हो।

मैसर्स जे. पी. एक्सप्लोसिव्स,
द्वारा-पुष्टेन्द्र गुप्ता,
(भागीदार)।

12-नगर निगम कॉम्प्लेक्स, हास्पीटल रोड,
लश्कर, ग्वालियर, (म. प्र.)

(94-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स माँ वैष्णो इन्टरप्राइजेज, ए-101, 102, आदित्यपुरम भिण्ड रोड, ग्वालियर, मध्यप्रदेश भागीदारी फर्म के भागीदार श्री सुरेश राठौर पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह राठौर, निवासी-136/64, हनुमान मंदिर के पास, तृप्ति नगर, मुरार, ग्वालियर, म. प्र. दिनांक 01-04-2016 से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं एवं उनका फर्म के कारोबार तथा लेनदेन से कोई संबंध नहीं रहा है तदनुसार सूचित हो।

मैसर्स माँ वैष्णो इन्टरप्राइजेज,
द्वारा-बृजेन्द्र सिंह तोमर,
(भागीदार)।

ए-101, 102, आदित्यपुरम भिण्ड रोड,
ग्वालियर, (म. प्र.)

(95-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मै. जय माँ रत्नगढ़ स्टोन क्रेशर, म. नं. 67, न्यू कॉलोनी, कालीमाता मंदिर, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म. प्र.) मध्यप्रदेश फर्म व सोसायटी ग्वालियर में क्रमांक 02/41/02/00153/12 से दिनांक 01-11-2012 से पंजीयत है, फर्म में भागीदारों की संख्या, पूर्व में तीन थी परंतु उसमें स्वेच्छा से दिनांक 01-04-2016 को एक साझेदार रमेश सिंह पुत्र श्री मर्हियादीन सिंह, निवासी म. नं. 100, सिरसी खुर्द, जिला महोबा (उ. प्र.) स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये हैं, इस कारणवश फर्म में दिनांक 01-04-2016 से साझेदारों की संख्या 2 रहेगी, इसमें किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह स्पीड पोस्ट या स्वयं के माध्यम से फर्म के ऑफिस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

फर्म-मैसर्स जय माँ रत्नगढ़ स्टोन क्रेशर,
विष्णु पाल,
(भागीदार)।

न्यू कॉलोनी, कालीमाता मंदिर,,
तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म. प्र.)

(98-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म गिरिश बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0111/16, दिनांक 13-07-2016 में भागीदारों में बदलाव किया गया है। जिसके तहत भागीदार श्री गिरिश केसवानी आ. श्री जे. पी. केसवानी, 136-सी, प्लॉटिनम प्लाजा, माता मंदिर, भोपाल को दिनांक 08-03-2016 व श्रीमती जया कृपलानी पत्नी श्री ओ. पी. कृपलानी, निवासी-ई-7/659, अरोरा कॉलोनी, भोपाल को दिनांक 21-12-2016 को फर्म से रिटायर कर दिया है तथा मैसर्स असनानी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स लि. को दिनांक 17-12-2016 भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित किया गया है।

मैसर्स गिरिश बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स,
सौरभ यादव,
(भागीदार)।

4-ए, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, कोलार रोड, भोपाल (म. प्र.).

(96-बी.)

फर्म की रचना में परिवर्तन या फर्म के भंग होने का सूचना-पत्र

रुप क्रमांक 5

(देखिये नियम 4)

(फर्मों के रजिस्ट्रार को, प्रकरण-पत्र में सम्मिलित करने के लिये, प्रस्तुत या प्रेषित)

इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा-63 (1) के अधीन इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि-

(1) *फर्म वैशाली डेवलपर्स की रचना में निम्नलिखित रूप में परिवर्तन किया गया है-

सम्मिलित होने वाले साझेदार का नाम और पूरा पता
और उसके फर्म में सम्मिलित होने का दिनांक

निकलने वाले साझेदार का नाम और पूरा पता
और उसके साझेदार न रहने का दिनांक

1. अजय पुरम आत्मज श्री बी. आर. पुरम, म. नं. 215, झण्डा चौक, गोपालगंज, सागर, दिनांक 10-06-2016.
2. विकास मोदी आत्मज श्री बालचन्द्र मोदी, म. नं. 15, जवाहर चौक, टीकमगढ़, दिनांक 10-06-2016.
1. श्री राजेश कुमार जैन आत्मज श्री कोमल चंद जैन, म. नं. 168, गांधी मार्ग, प्रधानपुरा, टीकमगढ़, दिनांक 10-06-2016.
2. श्री विनीत कुमार जैन आत्मज राजेन्द्र कुमार जैन, म. नं. 8, मेन मार्केट टीकमगढ़, दिनांक 10-06-2016.
3. श्री अखिलेश कुमार जैन आत्मज श्री ऋषभ कुमार जैन, म. नं. 33, प्रधानपुरा, टीकमगढ़, दिनांक 10-06-2016.
4. श्रीमती प्रीति जैन पत्नि श्री अखिलेश कुमार जैन, म. नं. 33, प्रधानपुरा, टीकमगढ़, दिनांक 10-06-2016.
5. श्रीमती भावना जैन पत्नि श्री मनोज कुमार जैन, म. नं. 25, नगर भवन के सामने, अष्टान कुटीर, टीकमगढ़, दिनांक 10-06-2016.
6. श्री प्रवीण सिंघई आत्मज श्री प्रमोद कुमार जैन, म. नं. 81, लवकुश कॉलोनी, टीकमगढ़, दिनांक 10-06-2016.
7. श्रीमती निराशा जैन पत्नि चक्रेश कुमार जैन, म. नं. 51, सिविल लाईन रोड, एम.पी.ई.बी. के सामने, टीकमगढ़, दिनांक 10-06-2016.

वैशाली डेवलपर्स,
अजय पुरम,
(भागीदार).

(104-बी.)

विविध निविदा सूचनाएं

अल्प निविदा सूचना

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल, 2017

क्र. जी. बी.दो(26)2017/881.- नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, म. प्र. भोपाल में जीवित पंजीकृत समस्त जिल्दसाजों से बाइंडिंग एवं अन्य संबंधित विधाओं के कार्य कराने हेतु तकनीकी एवं कॉर्मशियल भाग की-डेट्स अनुसार ऑनलाइन ई-टेंडर <https://mpeproc.gov.in> से दिनांक 16 मई, 2017 समय अपराह्न 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। तकनीकी भाग दिनांक 16 मई, 2017 को अपराह्न 3.30 बजे एवं निविदा का कॉर्मशियल भाग दिनांक 17 मई, 2017 को अपराह्न 12.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड की जावेगी।

2. ऑनलाइन तकनीकी भाग के परिशिष्ट-एक की जानकारी की हार्डकापी, स्थापित उपकरणों की सूची एवं निविदा में चाहे गये दस्तावेजों व नियम एवं शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

3. विज्ञप्ति, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को <https://mpeproc.gov.in> पर अवलोकन हेतु रखा गया है एवं इस कार्यालय की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

4. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

(1218)

ई-निविदा सूचना

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल, 2017

क्र. जी. बी./दो(22)2017/813.—आईटी विभाग की वेबसाइट <https://mpeproc.gov.in> से मात्र एवं शिशु सुरक्षा कार्ड, एम.सी.पी. कार्ड (तकनीकी विवरण अनुसार) के मुद्रण कार्य हेतु अखिल भारतीय स्तर के मुद्रकों से पेपर सहित मुद्रण, परिवहन, बहुरंगीय मुद्रण, पैकिंग, फोलिंग एवं अन्य कार्य की समस्त कर सहित दरें दिनांक 11 मई, 2017 अपराह्न 2.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं।

2. ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्ड कॉपी, पेपर नमूने अभिप्रामाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन तकनीकी भाग को दिनांक 12 मई, 2017 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्ड कॉपी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा।

3. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन/होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> एवं www.govt_pressmp.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।

(1227)

Bhopal, Dated 21st April, 2017

E-TENDER NOTICE

No. GB-II//(22)/2017/813.—ONLINE Bidding are invited on <https://www.mpeproc.gov.in> from the National Level Printers who have for Printing of Mother and Child Protection Card (as per technical details) including Paper, Printing, Packing, Transportation and other charges (inclusive all taxes) are invited on or before 2.00 PM on 11 May, 2017 as per key dates.

2. Hard Copy of the Bid Documents complete in all respects, alongwith Technical tender document, certified Paper Sample, acceptation of tender condition must be received at the office of the undersigned as per key dates. Envelopes of Hard Copy and Online Technical Parts will be open on 12 May, 2017 at 3.00 PM in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

3. All corrigendum/amendments/changes, if any will be issued and made available on Website <https://www.mpeproc.gov.in> and www.govt_pressmp.nic.in.

(1227-A)

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल, 2017

निविदा सूचना

क्र. जी.बी. चार/(पी-1) 2017-18/870.—ऑनलाईन बिडिंग <https://www.mpeproc.gov.in> पर ई-टेंडर से तकनीकी एवं कॉर्मशियल निविदा दिनांक 16 मई, 2017 अपराह्न 2.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार निर्माता या उनके अधिकृत एजेंट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्रिंटिंग एवं अन्य सामग्री का क्रय शासकीय मुद्रणालय, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा के लिये आमंत्रित की जाती हैं।

2. टेंडर फार्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

3. समस्त पूर्तियों के उपरांत ई-निविदा की हार्ड कॉपी एवं नमूने सूची सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स अनुसार जमा करना होगा। ऑनलाईन निविदा एवं हार्ड कॉपी की-डेट अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वेच्छा से उपस्थिति निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

4. सूचना/संशोधन/सुधार की स्थिति में जानकारी केवल वेबसाइट <https://www.mpeproc.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

(1228)

Bhopal, Dated 26 April, 2017

TENDER NOTICE

(Printing Articles)

No. GB-IV-(P-1) 2017-18/870.—Online Bidding go through IT Department Portal <https://www.mpeproc.gov.in> and Sealed Technical & Commercial E-Tenders are invited on or before 2.00 PM on 16 May, 2017 as per Key-Dates from the manufacturers or their Agents/Authorised Dealers for the supply of various types of Printing materials for the Govt. Printing Press, Bhopal, Gwalior, Indore and Rewa.

2. Tender Document and agreement details of tender are also available at website www.govt_pressmp.nic.in.

3. In all respects Hard Copy of the E-Tender document and sample of the items with list (sealed) must be received at the Office of the undersigned as per key dates. Envelope 'A' Hard Copy of Technical Tender will be opened ONLINE as per key dates in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

4. All corrigendum/amendments/changes; if any will only be issued and made available only on <https://www.mpeproc.gov.in>.

RAJESH KAUL,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
M.P., Bhopal.

(1228-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पंजीयक, लोक न्यास, बैतूल, जिला-बैतूल

दिनांक 20 अप्रैल, 2017

प्रारूप क्रमांक-4

[देखिए नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-3 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, बैतूल, जिला बैतूल के समक्ष

यह है कि श्री नवीन कुमार तातेड़, मैनेजिंग ट्रस्टी, शहस्र फणा शक्तिधाम होटल आभाश्री, सिविल लाइन, बैतूल द्वारा संशोधित नाम श्री शहस्र फणा शक्तिधाम के नाम से लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

संजीव केशव पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(1219)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, तहसील पंथाना

दिनांक 20 अप्रैल, 2017 को जारी

प्र.क्र. 02/बी-113/2016-17.

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि मुकेश पटेल पिता मोहनजी पटेल, कार्यकारी न्यासी गुर्जर समाज मांगलिक भवन न्यास, ग्राम सैयदपुर खैगावड़ा, तहसील पंथाना, जिला खण्डवा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत कथित लोक न्यास के पंजीकरण के लिये अधिवक्ता श्री विजय चौधरी के माध्यम से आवेदन सह प्रारूप (न्यास का प्रारूप) प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 23 मई, 2017 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

1. सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता : रेवा गुर्जर समाज मांगलिक भवन, ग्राम सैयदपुर खैगावड़ा, तहसील पंथाना।
2. चल सम्पत्ति : नगद राशि 3,50,000/- (रु. तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र)
3. अचल सम्पत्ति :
 1. समाज के बर्तन मूल्य 2,50,000/- रु.
 2. गुर्जर समाज का भवन जिसका मूल्य 20,00,000/- रु.
 3. रिक्त प्लाट 24 X 55 वर्गफीट मूल्य 8,00,000/- रु.

जानकी यादव,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)।

(1220)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना, जिला-गुना

गुना, दिनांक 18 अप्रैल, 2017

प्र. क्रमांक 0001 बी-113/2016-17/655.

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रमेशचंद्र लाहोटी एवं अधिकृत पंजीयनकर्ता सचिव श्री ओमप्रकाश लाहोटी, निवासी नयापुरा, गुना द्वारा एक दावा लोक न्यास अधिनियम धारा-4 व 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कंचनदेवी-रत्नलाल लाहोटी लोक न्यास, 4 रत्नलाल लाहोटी मार्ग, नयापुरा, गुना द्वारा द्रस्त पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त आवेदन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति एवं संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 18 मई, 2017 तक अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उक्त दिनांक उपरांत किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 18 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

दिनेश चंद्र शुक्ला,
अनुविभागीय अधिकारी।

(1226)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., विदिशा

विदिशा, दिनांक 02 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./स्था.विधि/लेखा/497.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., विदिशा का पंजीयन क्र./व्ही.डी.एस./एच.ओ./68, दिनांक 09 जनवरी, 1962 को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें, भोपाल, संभाग भोपाल का आदेश क्र./परि./2016/271, दिनांक 10 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के प्रावधान के तहत जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः म. प्र. सहकारी सोसायटी नियम क्रमांक 57 (सी/ग) के अंतर्गत जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., विदिशा के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

ए. के. सिंह,
परिसमापक।

(1221)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना

पन्ना, दिनांक 10 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/811.—संस्था ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रहनिया पंजीयन क्रमांक 416, दिनांक 02 अगस्त, 2002 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये। इस हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/परि./2017/296, दिनांक 09 फरवरी, 2017 को किया गया था तथा उसका जवाब देने के लिये दिनांक 20 मार्च, 2017 तक की समयावधि दी गई थी। इस समयावधि में आज दिनांक तक संस्था की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, दीपि बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेचित हैं का प्रयोग करते हुये संस्था ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रहनिया

पंजीयन क्रमांक 416, दिनांक 02 अगस्त, 2002 को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विष्णु दीक्षित, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

यह आदेश जारी होने के दिनांक 10 अप्रैल, 2017 से प्रभावशील होगा। साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री विष्णु दीक्षित, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, पन्ना परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन कार्यालय में 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 10 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1222)

दिनांक 10 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

संस्था प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देनेन्द्रनगर, पंजीयन क्रमांक 338, दिनांक 29 दिसम्बर, 1990 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये। इस हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/परि./2017/297, दिनांक 09 फरवरी, 2017 को किया गया था तथा उसका जवाब देने के लिये दिनांक 20 मार्च, 2017 तक की समयावधि दी गई थी। इस समयावधि में आज दिनांक तक संस्था की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये संस्था प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देनेन्द्रनगर, पंजीयन क्रमांक 338, दिनांक 29 दिसम्बर, 1990 को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विष्णु दीक्षित, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

यह आदेश जारी होने के दिनांक 10 अप्रैल, 2017 से प्रभावशील होगा। साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री विष्णु दीक्षित, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, पन्ना परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन कार्यालय में 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 10 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1222-A)

दिनांक 10 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

संस्था विश्वकर्मा काष्ठकला श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना, पंजीयन क्रमांक 660, दिनांक 30 मार्च, 2011 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये। इस हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/परि./2017/299, दिनांक 09 फरवरी, 2017 को किया गया था तथा उसका जवाब देने के लिये दिनांक 20 मार्च, 2017 तक की समयावधि दी गई थी। इस समयावधि में आज दिनांक तक संस्था की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये संस्था विश्वकर्मा काष्ठकला श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना, पंजीयन क्रमांक 660, दिनांक 30 मार्च, 2011 को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विष्णु दीक्षित, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

यह आदेश जारी होने के दिनांक 10 अप्रैल, 2017 से प्रभावशील होगा। साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री विष्णु दीक्षित, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, पन्ना परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन कार्यालय में 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 10 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1222-B)

दिनांक 10 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

संस्था नानाजी देशमुख प्राथमिक विषयन सहकारी समिति मर्यादित, पवर्ह, पंजीयन क्रमांक 735, दिनांक 09 नवम्बर, 2012 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये। इस हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/परि./2017/299, दिनांक 09 फरवरी, 2017

को किया गया था तथा उसका जवाब देने के लिये दिनांक 20 मार्च, 2017 तक की समयावधि दी गई थी। इस समयावधि में आज दिनांक तक संस्था की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1-99-पन्नह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये संस्था नानाजी देशमुख प्राथमिक विषयन सहकारी समिति मर्यादित, पवई, पंजीयन क्रमांक 735, दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजीव सक्सेना, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, पवई को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

यह आदेश जारी होने के दिनांक 10 अप्रैल, 2017 से प्रभावशील होगा। साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री राजीव सक्सेना, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, पवई परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन कार्यालय में 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 10 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1222-C)

दिनांक 10 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

संस्था छत्रसाल ऑफसेट सहकारी मुद्रणालय मर्यादित, पवई, पंजीयन क्रमांक 696, दिनांक 29 अप्रैल, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये। इस हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/परि./2017/295, दिनांक 09 फरवरी, 2017 को किया गया था तथा उसका जवाब देने के लिये दिनांक 20 मार्च, 2017 तक की समयावधि दी गई थी। इस समयावधि में आज दिनांक तक संस्था की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1-99-पन्नह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये संस्था छत्रसाल ऑफसेट सहकारी मुद्रणालय मर्यादित, पवई, पंजीयन क्रमांक 696, दिनांक 29 अप्रैल, 2008 को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजीव सक्सेना, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, पवई को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

यह आदेश जारी होने के दिनांक 10 अप्रैल, 2017 से प्रभावशील होगा। साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री राजीव सक्सेना, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, पवई परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन कार्यालय में 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 10 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1222-D)

दीप्ति बनवासी,
सहायक पंजीयक।

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला शहडोल

शहडोल, दिनांक 17 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

क्र./परि./2017/676.-आकाश खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्यादित, बुढार, जिला-शहडोल, पंजीयन क्रमांक 1019, दिनांक 26 फरवरी, 2002 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आपसमा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्नह-एक-डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत

आकाश खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्यादित, बुढ़ार, जिला-शहडोल, पंजीयन क्रमांक 1019, दिनांक 26 फरवरी, 2002 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित-निकाय (कार्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया।

बी. एस. परते,
उपायुक्त।

(1223)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

केशव माधव उप भंडार सहकारी संस्था मर्या., तलेन, जिसका पंजीयन क्र. 1071, दिनांक 02 अप्रैल, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 86, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए केशव माधव उप भंडार सहकारी संस्था मर्या., तलेन को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. एस. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर, जिसका पंजीयन क्र. 628, दिनांक 09 दिसम्बर, 1997 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 71, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री डी. सी. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

जागृति देवी चर्म सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर, जिसका पंजीयन क्र. 844, दिनांक 11 फरवरी, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 72, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए जागृति देवी चर्म सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर को एतद्वारा परिसमापन में

लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

राजीव बुनकर पढ़ाना सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर, जिसका पंजीयन क्र. 928, दिनांक 11 जुलाई, 1958 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र....., दिनांक.....को जारी किया जाकर, जबाब हेतु 30 दिन की समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए राजीव बुनकर पढ़ाना सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

अंसार बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर, जिसका पंजीयन क्र. 214, दिनांक 15 मार्च, 1970 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 12, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जबाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए अंसार बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पुरुषोत्तम शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

अंबेडकर बुनकर सहकारी संस्था मर्या., कुरावर, जिसका पंजीयन क्र. 505, दिनांक 22 फरवरी, 1995 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 89, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जबाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए अंबेडकर बुनकर सहकारी संस्था मर्या., कुरावर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. शर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

अलऊरुज बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर, जिसका पंजीयन क्र. 1104, दिनांक 17 अगस्त, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 88, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए अलऊरुज बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एन. गुप्ता को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के. एन. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

लक्की मछुआ सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़, जिसका पंजीयन क्र. 596, दिनांक 24 सितम्बर, 1993 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र....., दिनांक.....को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए लक्की मछुआ सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़ को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री डी. सी. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

प्राथ. मछुआ सहकारी संस्था मर्या., टाडीखुर्द, जिसका पंजीयन क्र. 748, दिनांक 26 मार्च, 2002 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 77, दिनांक 30 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए प्राथ. मछुआ सहकारी संस्था मर्या., टाडीखुर्द को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. एस. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

जय माँ जालपा मछुआ सहकारी संस्था मर्या., गोरखपुरा, जिसका पंजीयन क्र. 1262, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 78, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकरिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्ह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए जय माँ जालपा मछुआ सहकारी संस्था मर्या., गोरखपुरा को एटद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एच. के. शाक्यवार को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एच. के. शाक्यवार, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1224-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

प्राथ. पूजा नीतू मछुआ सहकारी संस्था मर्या., अमानपुरा, जिसका पंजीयन क्र. 689, दिनांक 26 फरवरी, 2001 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 79, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए प्राथ. पूजा नीतू मछुआ सहकारी संस्था मर्या., अमानपुरा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एन. गुप्ता को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के. एन. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

महाकाल मण्डुआ सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर, जिसका पंजीयन क्र. 692, दिनांक 23 अप्रैल, 2001 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 80, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जबाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए महाकाल मछुआ सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री डी. सी. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

प्राथ. मछुआ सहकारी संस्था मर्या., धनवासकला, जिसका पंजीयन क्र. 1025, दिनांक 18 जुलाई, 2007 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 81, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्ह्र-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए प्राप्त, मल्हुआ सहकारी संस्था मर्या, धनवासकला को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतांशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

प्राथ. केशर माताजी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सेमरीकला, जिसका पंजीयन क्र. 1031, दिनांक 29 अगस्त, 2007 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 82, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए प्राथ. केशर माताजी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सेमरीकला को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. व्ही. गुप्ता को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. एस. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

माँ काली मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर, जिसका पंजीयन क्र. 1168, दिनांक 11 अप्रैल, 2010 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 83, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए माँ काली मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एच. के. शाक्यवार को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एच. के. शाक्यवार, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

माँ लालमाता मछुआ सहकारी संस्था मर्या., मायापुरा, जिसका पंजीयन क्र. 1221, दिनांक 03 जनवरी, 2012 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र....., दिनांक..... को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए माँ लालमाता मछुआ सहकारी संस्था मर्या., मायापुरा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एन. गुप्ता को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के. एन. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

स्वामी विवेकानंद भण्डार सहकारी संस्था मर्या., खुजनेर, जिसका पंजीयन क्र. 547, दिनांक 06 दिसम्बर, 1991 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 10, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए स्वामी विवेकानन्द भण्डार सहकारी संस्था मर्या., खुजनेर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

भारतीय उप भण्डार सहकारी संस्था मर्या., पाडल्यामाताजी, जिसका पंजीयन क्र. 849, दिनांक 21 मार्च, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र....., दिनांक....., को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए भारतीय उप भण्डार सहकारी संस्था मर्या., पाडल्यामाताजी को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. व्ही. गुप्ता को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. व्ही. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

चित्रांश प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., कुरावर, जिसका पंजीयन क्र. 1144, दिनांक 27 अगस्त, 2009 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 74, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए चित्रांश प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., कुरावर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री डी. सी. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

शुभालय प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़, जिसका पंजीयन क्र. 1182, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 75, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए शुभालय प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़ को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एच. के. शाक्यवार को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एच. के. शाक्यवार, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

अक्षत रुरल टेक्नालॉजी सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़, जिसका पंजीयन क्र. 634, दिनांक 07 अप्रैल, 1998 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 69, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए अक्षत रुरल टेक्नालॉजी सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़ को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पुरुषोत्तम शर्मा, C.I., को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, C.I., परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

ज्योति साख सहकारी संस्था मर्या., पाटनखुर्द, जिसका पंजीयन क्र. 1300, दिनांक 10 अप्रैल, 2014 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 54, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए ज्योति साख सहकारी संस्था मर्या., पाटनखुर्द को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, C.I., को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, C.I., परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

डॉ. अम्बेडकर साख सहकारी संस्था मर्या., कडियासासी, जिसका पंजीयन क्र. 597, दिनांक 03 जनवरी, 1994 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 52, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए डॉ. अम्बेडकर साख सहकारी संस्था मर्या., कडियासासी को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एन. गुप्ता, C.I., को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के. एन. गुप्ता, C.I., परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

सेवक साख सहकारी संस्था मर्या., खिलचीपुर, जिसका पंजीयन क्र. 1349, दिनांक 28 जनवरी, 2015 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 282, दिनांक 03 फरवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए सेवक साख सहकारी संस्था मर्या., खिलचीपुर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, C.I., को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. एस. गुप्ता, C.I., परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-W)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

तिलहन सहकारी संस्था मर्या., खुजनेर, जिसका पंजीयन क्र. 423, दिनांक 09 अप्रैल, 1987 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 16, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए तिलहन सहकारी संस्था मर्या., खुजनेर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, C.I., को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, C.I., परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-X)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

प्राथ. साख सहकारी संस्था मर्या., सुठालिया, जिसका पंजीयन क्र. 1307, दिनांक 08 अगस्त, 2014 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 283, दिनांक 03 फरवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए प्राथ. साख सहकारी संस्था मर्या., सुठालिया को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, C.I., को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री डी. सी. गुप्ता, C.I., परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-Y)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

श्री कालाजी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., नापानेरा, जिसका पंजीयन क्र. 1269, दिनांक 20 नवम्बर, 2012 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 267, दिनांक 03 फरवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए श्री कालाजी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., नापानेरा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, C.I., को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. एस. गुप्ता, C.I., परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1224-Z)

राजगढ़, दिनांक 02 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/547.-श्रमिक कामगार उत्खनन सहकारी समिति मर्यादित, पचोर, पंजीयन क्रमांक 330, दिनांक 19 सितम्बर, 1998 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 277, दिनांक 03 फरवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए श्रमिक कामगार उत्खनन सहकारी समिति मर्यादित, पचोर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एन. गुप्ता, C.I., को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के. एन. गुप्ता, C.I., परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1225)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

प्राथ. परिवहन सहकारी संस्था मर्या., बोड़ा, जिसका पंजीयन क्र. 549, दिनांक 28 जनवरी, 1992 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 472, दिनांक 23 फरवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए प्राथ. परिवहन सहकारी संस्था मर्या., बोड़ा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, C.I., को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, C.I., परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1225-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

संदेश उप भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बोड़ा, जिसका पंजीयन क्र. 923, दिनांक 24 मार्च, 2004 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र....., दिनांक....., को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए संदेश उप भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बोड़ा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री डी. सी. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1225-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

राजीव गांधी उप भण्डार सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर, जिसका पंजीयन क्र....., दिनांक है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 19, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए राजीव गांधी उप भण्डार सहकारी संस्था मर्या., जीरपुर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री डी. सी. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1225-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

माँ संतोषी उप भण्डार सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़, जिसका पंजीयन क्र. 939, दिनांक 14 जून, 2004 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 22, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए माँ संतोषी उप भण्डार सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़ को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एन. गुप्ता, को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के. एन. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1225-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

माँ शारदा उप भण्डार सहकारी संस्था मर्या., नरसिंहगढ़, जिसका पंजीयन क्र. 1008, दिनांक 28 नवम्बर, 2006 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 23, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए माँ शारदा उप भण्डार सहकारी संस्था मर्या., नरसिंहगढ़ को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. शर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1225-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

श्री गणेश प्रिंटर्स सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़, जिसका पंजीयन क्र. 969, दिनांक 28 जुलाई, 2005 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 73, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए श्री गणेश प्रिंटर्स सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़ को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. शर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

आर. एस. गौर,

उप-रजिस्ट्रार

(1225-F)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 मई, 2017-वैशाख 22, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।

2. जुताई.- जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरोली, झावुआ, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला व डिण्डौरी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.- जिला मुरैना में फसल गेहूँ, बुरहानपुर में चना, गेहूँ व डिण्डौरी में गेहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरोली, इन्दौर, खरगोन, बड़वानी, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति-

..

5. कटाई.- जिला डिण्डौरी में फसल धान, दमोह, सीधी, खरगोन में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल व बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहार श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहार श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुखी हुई समान या बिल्डी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना : 1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस	मिलीमीटर	2. गेहूं की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
2. जिला श्योपुर : 1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनिया, मेथी, मसूर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. जिला भिण्ड : 1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. जिला ग्वालियर : 1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
5. जिला दतिया : 1. सेवडा 2. दतिया 3. भाण्डेर	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, तिल, उड़द, मूँग. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
6. जिला शिवपुरी : 1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बद्रवास	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड्ड, गन्ना, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्देरी 5. शाढौरा				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, धनिया, मसूर, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना 2. राघोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, चना, राई-सरसों, मटर, गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेरा 7. ओरछा				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2.	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. 3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़ामलहरा 8. बक्सवाहा				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2.	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. 3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड्ड, मूँग, सोयाबीन, तिल. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. शाहनगर				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2.	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. 3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, घ्याज समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) अरहर, गना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, तिवड़ा, जौ। (2) ..	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. हटा 2. बटियागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जबरा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा	..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) गेहूँ कम. अरहर, अलसी, मसूर, चना, राई-सरसों समान। (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. रघुराजनगर 2. मझगांव 3. रामपुर-बंधेलान 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. बिरसिंहपुर	..				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर अधिक। मसूर समान। (2) ..	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. त्वाँथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हजूर 6. गुढ़ 7. रायपुरकरुलियान	..				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) धान, कोदों-कुटकी, तुअर, तिल, उड्ढ, राई अधिक। (2) ..	5. अपर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. सोहागपुर 2. ब्यौहारी 3. जैसिंहनगर 4. बुढार 5. जैतपुर 6. गोहपारू	..				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) तुअर, राई, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना समान। (2) ..	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़	..				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) मक्का, धान, ज्वार, तुअर, मूँग, तिल, चना, अलसी, राई, गेहूँ समान। (2) उपरोक्त फसलें समान।	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. मानपुर	..				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है।	3. .. 4. (1) राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ कम. अलसी, चना समान। (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. सुवासराट्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मंदसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुंधड़का 9. संजीत 10. कयामपुर				
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावद 2. नीमच 3. मनासा				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान。 (2) उपरोक्त फसलें समान।	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलोदा 6. रतलाम				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान。 (2) उपरोक्त फसलें समान।	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना。 (2) ..	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. .. 8. पर्याप्त।
1. बड़ौद 2. सुखनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. मोहम्मद बड़ौदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास : 1. सोनकछु 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नोद 6. खातेगांव	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
28. जिला झाबुआ : 1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, तुअर, धान अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
29. जिला अलीराजपुर : 1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कटटीवाड़ा 4. सोंडवा 5. भामरा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, मूँगफली अधिक. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
30. *जिला धार : 1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्सी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
31. जिला इन्दौर : 1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
32. जिला खरगौन : 1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेंगांव 4. खरगौन 5. गोगांव 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. झिरन्या	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी व कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का अधिक ज्वार, धान बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना, गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) कपास अधिक सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. श्यामपुर	..				
3. आष्टा	..				
4. जावरा	..				
5. इछावर	..				
6. नसरुल्लागंज	..				
7. रेहटी	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलबानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. भैसदेही	..				
2. घोड़ाड़ोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिंचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, गन्ना, उड्ड, तुअर अधिक. सोयाबीन मूँग कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरसी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) अलसी, राई सरसों कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझाली	..				
5. कुण्डमपुर	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, ज्वार. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघौण्ड	..				
4. बहोरीबद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है।	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेंदूखेड़ा				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है।	3. .. 4. (1) धान, मक्का, सन, कोदों-कुटकी, तुअर, उड्ढ, तिल. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिलिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, रामतिल, उड्ढ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. बजाग 3. शाहपुरा				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. तामिया 5. सोंसर 6. पांढुर्णा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. चांद 10. बिछुआ 11. हर्ई 12. मोहखेड़ा 13. उमरेठ				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है।	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड्ढ, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन, गना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादोन 4. बरघाट 5. कुरई 6. घंसोर 7. घनोरा 8. छपारा				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटांगी 6. किरनापुर 7. खेरलांजी 8. लालबर्दी 9. परसवाड़ा 10. विरसा				

टीप.-*जिला नीमच, धार व बैतूल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

(1217)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.

सुहेल अली,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.